प्ररूप—ग
(नियम 3(2) देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

चंदर गोंड़ पिता श्री जलधर गोंड़
जाति गोंड़ निवासी ग्राम जिडार
तहसील छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.)

विषय :— प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

——000——

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 04.11.24 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण ज्ञापन (दिनांक) 11.11.2024 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:—

खसरा नम्बर 197 रकबा 0.41 हे. पर काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 00 (शून्य) है व खसरा नंबर 201/1 रकबा 0.84 हे. पर काटे जाने वाले 10 नग वृक्ष स्थित है जिसमें से 10 नग सागौन प्रजाति के वृक्षों स्थित है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नम्बर 201/1 रकबा कमशः 0.84 हे. ग्राम जिडार तहसील छुरा जिला गरियाबंद स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन कुल संख्या 4 (प्रपत्र ब अनुसार वृक्ष कमांक 01, 05, 06, 10) है, को काटे जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नही हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

संलग्नः— प्रपत्र 'ब' की प्रतिलिपि।

टीपः— (आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग से है। अतएव जारी अनुज्ञा पत्र पर छ0ग0 आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 एवं छ0ग0 आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2022 के प्रावधान लागू होंगे।)

अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) छुरा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
छुरा

पृ.क्रमांक/ 500 / अ.अ./वा—1/2025

छुरा दिनांक 27/02/2025

प्रतिलिपि :—

1. कलेक्टर महोदय गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार छुरा को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
छुरा